



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

पोर्टल द्वारा

आदेश

द्वारा पारित:

के मामले में:

कार्यपालक निदेशक [प्रशासन] और
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
'ए' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
सफ़दरजंग हवाई अड्डा,
नई दिल्ली 110003

श्री [REDACTED] स्टेशन,
9-5-25 नवंबर का
निर्देश [REDACTED],
पिन-502103, [REDACTED]

Order No: 134/Appeal/ED [Admn]/2024

[REDACTED]

1.0 प्रस्तावना

1.1 यह आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 के तहत किया गया है।

1.2 अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है जिस दिन यह आदेश दिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था।

2.0 तथ्य

2.1 [REDACTED] ने ऑनलाइन पंजीकरण संख्या AAOIN/R/E/25/00096 आरटीआई dated 17.01.2025, के माध्यम निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

01. Request all circulars regarding HBA that allow employee to avail for property (flat, house, plot) and his spouse (not working in AAI) to avail loan on the same property from financial Institution out side AAI while-both AAI employee and his spouse remain the joint holders of the property. (Employee avails HBA from AAI while his spouse from outside banks on the same property)
02. Request circulars that mention the responsibility of primary Charge and secondary Charge regarding the above mentioned nature of property holding.

2.2 अपीलकर्ता ने एक ऑनलाइन प्रथम अपील पंजीकरण संख्या AAOIN/A/E/25/00036, dated 14.02.2025 के माध्यम से सूचित किया है कि, Details not provided, provided incomplete, misleading or false


information." और इस बारे में प्रथम अपील दायर की है। जबकि अपीलकर्ता ने प्रथम अपील में प्रश्न गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के बारे में पूछा है और संलग्नक (BAS) गलत लगाया है।

3.0 निष्कर्ष/आदेश

3.1 मामले को देखने के बाद यह पाया गया है सीपीआईओ / श्री विवेक कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक (प्रशा.) ने अपीलकर्ता को पत्र संख्या AAI/GHQ/ DA/L&A/RTI/07/2024, dated 12.02.2025 के माध्यम से उत्तर प्रदान किया है।

3.2 सभी सीपीआईओ द्वारा दिया गया उत्तर सही है, तदनुसार, ऑनलाइन के माध्यम में प्राप्त अपील दिनांक 14.02.2025 को निस्तारित किया जाता है।

3.3 यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो अपीलकर्ता सीआईसी भवन, बाबा गंगा नाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर, पुराना जेएनयू परिसर, मुनिरका, नई दिल्ली, 110067 में दूसरी अपील के लिए संपर्क कर सकता है।



(माया लवानिया)
कार्यपालक निदेशक [प्रशासन] और
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

➤ श्री विवेक कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक (प्रशा.)/ सीपीआईओ- - जानकारी हेतु